संक्षिप्त

दामोदर गौशाला में गायों के टीका लगाया

निवाई। जयपुर टोंक रोड स्थित दामोदर गौशाला में पशुओं में होने वाले खुरपका-मुंहपका रोग के बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान पशुपालन विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पशुपालकों को जागरूक करते हुए शत-प्रतिशत टीकाकरण करवाने का आ ान किया। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह, उपनिदेशक डॉ. लक्ष्मण सिंह व नगरपालिका के निवर्तमान अध्यक्ष दिलीप ईसरानी सहित कई जनप्रतिनिधि व विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। पशु चिकित्सक डॉ. शिकराज शर्मा ने बताया कि 20वीं पशु गणना के अनुसार क्षेत्र के सभी बडे पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि विभागीय कार्मिकों को निर्धारित लक्ष्य दिए गए हैं, जिसके तहत वह प्रतिदिन पशुपालकों के घर-घर जाकर टीके लगाएंगे एवं इसकी ऑनलाइन एंट्री भी करेंगे।

श्रीमद् भागवत कथा 19 से

निवाई। गांव राणोली के पास श्री बगडवा वाले बालाजी मंदिर में श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जाएगा। कथा के आयोजन को लेकर 19 मार्च को सुबह 7 बजे बगडवा गांव से बालाजी मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। श्रद्धालु हनुमानप्रसाद शर्मा ने बताया कि कथा को लेकर प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक दैनिक कथा, प्रसंग एवं उत्सव मनाए जाएंगे। कथा में महामंडलेश्वर बालकानन्द महाराज, गौ संत प्रकाशदास महाराज, अयोध्या से पुरुषोत्तम दास महाराज व लोहरवाडा पीपलू से ज्ञानानन्द महाराज सहित कई संत व श्रद्धालु भाग लेंगे।

कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत

दूदू । विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक व संस्थापक सुशील कुमार ओझा ने पुष्कर में आयोजित राष्ट्रीय अधिवेशन के दौरान समाजसेवी कपिल चोटिया दूदू को उनके कार्य एवं समाज के प्रति कार्य करने पर तीसरी बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य मनोनीत किया गया है।

इत्तलानामा वास्ते जाहिर करने वजह न जारी होने डिक्री के
(ओ.21 रूल 22 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत न्यायालय किराया अधिकरण प्रथम व अपर मुख्य सिविल जज क्रम-1 जयपुर प्रथम
ए.एन.माथुर एण्ड सन्स HUF बनाम उमेश चन्द चौधरी व अन्य जरिये क्रेता श्री अमर नारायण माथुर
डिग्री बाबत
मुकद्दमा नम्बर 74/2022 सन् इजराय प्रा.पत्र
बनाम-(1) उमेश चन्द चौधरी पुत्र बुद्ध सिंह चौधरी निवासी जयपुर सी-स्कीम म.नं. एफ व सी-58 सुरेश मार्ग जयपुर (राज.), (2) श्रीमती लक्ष्मी जाखड पत्नी श्री उमेश चन्द जाखड उर्फ जगदेवा राज जाखड आयु 64 वर्ष जाति जाट (i) निवासी-म.नं.F-141 वैशाली नगर जयपुर (राज.), (ii) दुसरा पता-सी-स्कीम सुरेश मार्ग एफ व सी-58 फ्लेट नम्बर 105, प्रथम तल, जयपुर महानगर, जयपुर (राज.), (iii) तीसरा पता-प्लाट नं.64 समिति की योजना स्कीम कल्याण कॉलोनी आफिसर्स कैम्पस के पास जयपुर महानगर जयपुर
साकिन.... तहसील....
चूंकि डिक्रीदार ने डिग्री अदालत मूल अर्जी की इजराय मक्खे 600 व मुकद्दमे नम्बर 2006 सन्... की इजराय के लिए दरख्वास्त पेश की है इसलिए आपको इत्तला दी जाती है कि आप इस अदालत मे.... वार... तारीख 19 माह 03 सन् 2026 को हाजिर होकर अगर कोई उजर वास्ते आपके खिलाफ इजराय किये जाने डिग्री रखते हो तो पेश करो। आज व तारीख 13 माह 3 सन् 2026 वसन्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के जारी किया गया।
पीठासीन अधिकारी
किराया अधिकरण सं.1
अपर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1
जयपुर महानगर प्रथम
(मोहर अदालत)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय स्थान मौजमाबाद, जयपुर
कमलेश विरूद्ध भीमराज वगैरह अन्य
वाद / प्रार्थना पत्र 128 LRant
प्रार्थना-पत्र संख्या ..... सन्
नाम भीमराज पुत्र सीताराम जाति भीम नन्दन बायोटैक एम 60 महेश कॉलोनी टोंक फाटक, जयपुर
नाम गोविन्दी देवी पत्नी जगदीश नारायण जाति रैगर पता दूनी रावजी का बाग जयपुर हाल निवासी प्लाट नम्बर ए 1 आम्बेडकर इमलीवाला फाटक जयपुर
नाम मैसर्स नन्दन बायोटैक प्रा. लि. जरिये निदेशक नरेश माहेशरी श्री जी एल माहेश्वरी जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर एम एन 60 महेश कॉलोनी, लक्ष्मी मन्दिर, टोंक फाटक, जयपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरुद्ध हैंतुक दर्शित करने के लिए दिनांक 19 माह 03 सन् 2026 को 10.00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि, आप ऐसा करने में असफल रहेगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा गाच्छाकर एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज तारीख 13 माह 10 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
आज्ञा से
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मौजमाबाद, जयपुर
(मोहर)

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

यूजीसी बिल के विरोध में सवर्ण समाज गरजा, सड़कों पर उतरा

पावटा । केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए यूजीसी के विरोध में सवर्ण समाज का गुस्सा फूट पड़ा है। सवर्ण समाज ने सडकों पर उतर सोमवार को पावटा कस्बे में यूजीसी के तथाकथित

- **केंद्र सरकार ने यूजीसी बिल वापिस नहीं लिया तो होगा आंदोलन**
- **सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने एकजुटता से इस बिल का विरोध प्रदर्शन कर रैली के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा**

काले कानून के विरोध में रैली और प्रदर्शन किया गया। रैली-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए समाज के लोग कस्बे के आदर्श रामलीला मैदान पर एकत्रित जोरदार प्रदर्शन करते हुए रैली का शुभारंभ किया। बड़ी संख्या में युवाओं, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों और आम नागरिकों ने इसमें भाग लिया। इस दौरान पावटा कस्बे के व्यापारियों के सहयोग से संपूर्ण बाजार बंद रहे। क्षित्रय, ब्राह्मण, बनिया, सामान्य वर्ग संयुक्त मंच ने हजारों की संख्या में एकजुटता से इस बिल का विरोध जताया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर यूजीसी के नियमों के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग शामिल हुए। पावटा कस्बे के मुख्य बाजारों से होते हुए प्रदर्शन रैली उपखंड कार्यालय पावटा पहुंची। जहां यूजीसी कानून वापस लो' के नारों के साथ उपखंड कार्यालय पावटा पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। उपखंड अधिकारी पावटा डॉ. साधना शर्मा को सवर्ण समाज ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सत्ताईशा राजपूत समाज अध्यक्ष रीछपाल सिंह पांचूडाला, सवाई सिंह, रविंद्र सिंह फौजी कैरोडी, अठावाल महासभा पावटा अध्यक्ष बलदेव गोयल, पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश बंसल, ब्राह्मण महासभा पावटा पूर्व नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पंडित सुरेश शर्मा, एडवोकेट विष्णु पटेल, रामशरण बोहरा, राहुल गोयल, लक्ष्मीनारायण शर्मा, धर्मेंद्र गोयल, सोहनदास महाराज सहित वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी के नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ हैं और सरकार बिना संवाद के मनमाने फैसले थोप रही है, जिसे समाज किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा।

केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए यूजीसी का सवर्ण समाज ने विरोध किया।

टूर्नामेंट में टोंक ने लहराया परचम

निवाई। जोधपुर में आयोजित 10 वीं राज्य स्तरीय रग्बी फुटबॉल टूर्नामेंट में टोंक की टीम ने प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। 16 से 20 टीमों की इस कडी प्रतिस्पर्धा में पहले मुकाबले में टीम ने अजमेर को 12-07 से शिकस्त दी और दूसरे मैच में भरतपुर के खिलाफ 56-00 के विशाल अंतर से एकतरफा जीत दर्ज की। क्वार्टर फाइनल में भीलवाड़ा को 29-07 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश करने वाली टोंक की टीम को सेमीफाइनल में जयपुर से 07-30 से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तीसरे स्थान के लिए हुए निर्णायक मुकाबले में टीम ने वापसी करते हुए सीकर को 36-07 से हराकर पदक अपने नाम किया। टोंक टीम के इस बेहतरीन प्रदर्शन की राजस्थान रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन के सचिव कुलदीपसिंह राजावत एवं संयुक्त सचिव गौरव कुमार ने सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। टीम के कोच जितेंद्र जांगिड़ एवं कप्तान विनोद जाट के कुशल नेतृत्व में मिली इस सफलता पर टोंक रग्बी के चयनकर्ता रमेश जाट ने बताया कि विजेता टीम का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया है।

'सम्पर्क पोर्टल के मामले तय सीमा में निबटाएं'

भरतपुर (निस)। सडक, पेयजल, चिकित्सा, बिजली, शिक्षा सहित विभिन्न बिन्दुओं को लेकर जिला कलक्टर कमर चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

जिला कलक्टर ने स्वावलम्बन पोर्टल पर दिव्यांग प्रमाण पत्र से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बताया कि वर्तमान में 2055 आवेदन लंबित हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा प्रमुख चिकित्सा अधिकारी को नियमित मॉनिटरिंग करते हुए सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने लाडो प्रोत्साहन योजना में धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सीएमएचओ को संबंधित बीसीएमएचओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही पात्र बालिकाओं के प्रकरण एएनएम के सहयोग से ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कर आवश्यक दस्तावेजों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सत्यापन कार्य की समीक्षा करते हुए उन्होंने बताया कि जिले में नदबई, बयाना और वैर ग्रामीण क्षेत्रों तथा भरतपुर शहर में सत्यापन कार्य की प्रगति अपेक्षाकृत कम है।

उन्होंने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक को टीम गठित कर अभियान चलाने तथा परिजनों से लिखित रिपोर्ट लेने के निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम आयुक्त और विकास अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए कहा। नगर निगम आयुक्त को शहर में वार्डवार साफ-सफाई व्यवस्था की समीक्षा करते हुए गीले और सूखे कचरे के बेहतर प्रबंधन के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यदि कार्यकारी एजेंसी कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतती है तो उसे नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने पीएचईडी अधिकारियों को ठीष्म ऋतु को देखते हुए ठामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए खराब मोटर पंपों की जांच कर उन्हें शीघ्र ठीक कराने तथा ठाम पंचायतों के सहयोग से पेयजल आपूर्ति सुचारु रखने को कहा। साथ ही विद्युत विभाग को पीएचईडी प्रोजेक्टों में बिजली कनेक्शन कराने के लिए खेरिया और मिलकपुर गांवों में बयाना उपखंड अधिकारी और पुलिस के सहयोग से कार्य कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम सम्पर्क पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को असंतुष्ट श्रेणी के प्रकरणों में प्रतिदिन प्रार्थियों से संपर्क कर जांच करने एवं प्रकरणों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने की बात कही। नगर निगम आयुक्त को सभी नगरपालिकाओं के ईओ को प्रतिदिन कम से कम 5 संतुष्टि परिवादों की जांच करने के निर्देश भी दिए। जिला कलक्टर ने उप रजिस्ट्रार सहकारिता को आवश्यक क्षेत्रों में सहकारी गोदाम निर्माण के लिए उपखंड अधिकारियों से समन्वय कर भूमि उपलब्ध कराने तथा प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए।

कलक्टर-एसपी के नेतृत्व में श्यालावास केंद्रीय कारागार में सघन तलाशी अभियान

दौसा। श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में सोमवार को जिला प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान जेल परिसर में व्यापक जांच की गई, जिसमें एक ब्लू टूथ कनेक्टर के अलावा कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। जिला कलक्टर देवेंद्र कुमार तथा पुलिस अधीक्षक सागर राणा के नेतृत्व में दोपहर एक बजे से तीन बजे तक बंदियों, उनके वार्डों, बैरकों एवं कोठरियों की आधुनिक उपकरणों की सहायता से गहन तलाशी ली गई। तलाशी कार्यवाही में अतिरिक्त जिला कलक्टर अरविंद शर्मा, नांगल राजावतान उपखंड अधिकारी यशवंत मीणा, नांगल राजावतान वृत्त पुलिस उप अधीक्षक दीपक मीणा, नांगल राजावतान तहसीलदार नवल किशोर शर्मा सहित लवाण, राहुवास, नांगल राजावतान एवं पापड़दा के थानाधिकारी मौजूद रहे। लगभग 80 पुलिस जवानों ने अभियान में भाग लेकर तलाशी कार्यवाही को अंजाम दिया। तलाशी के दौरान एक ब्लू टूथ कनेक्टर मिला।

इसके अलावा जेल मैन्युअल के अनुसार किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामठी बरामद नहीं हुई। इस दौरान जेलर रामचन्द्र, मुख्य प्रहरी जीवराज सिंह, ओम प्रकाश शर्मा तथा ओम प्रकाश लेगा ने प्रशासन एवं पुलिस टीम का सहयोग किया। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के गृह विभाग के निर्देशानुसार जेलों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए माह में दो बार पुलिस प्रशासन द्वारा नियमित रूप से तलाशी अभियान चलाया जाता है।

श्यालावास स्थित विशिष्ट केंद्रीय कारागार में जिला प्रशासन एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने जायजा लिया।

बड़ी संख्या में पेंशनर्स पहुंचे शिविर में

दौसा। जिले के पेंशनरों की पेंशन संबंधी परिवेदनाओं के निस्तारण के लिए सोमवार को कोष कार्यालय दौसा के कक्ष संख्या-215 में विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जिलेभर से बड़ी संख्या में पेंशनर अपनी समस्याएं एवं परिवेदनाएं लेकर पहुंचे। कोषाधिकारी रामचरण मीणा ने बताया कि शिविर में प्राप्त अधिकांश परिवेदनाएं शिक्षा विभाग से संबंधित थीं, जिनमें जून 2006 अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त कार्मिकों की काल्पनिक वेतन वृद्धि स्वीकृति से जुड़े प्रकरण अधिक रहे।

इसके अलावा जन्मतिथि निर्धारण, पेंशन आहरण, कोष कार्यालय परिवर्तन, बैंक शाखा परिवर्तन से संबंधित प्रकरणों का भी समाधान किया गया। पेंशन निदेशालय से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए पेंशन निदेशालय के उप निदेशक शिव सहाय मीना तथा सहायक प्रशासनिक अधिकारी रूप सिंह मीना भी शिविर में उपस्थित रहे।

समाज की एकता व संगठन ही विकास का मुख्य आधार है : राज्यमंत्री रामगोपाल सुथार

निवाई। जांगिड़ ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में भगवान श्री विश्वकर्मा मंदिर में नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल जांगिड व नवीन

- **जांगिड ब्राह्मण समाज की नवनियुक्त कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न,**
- **पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई**

कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अतिथियों द्वारा समाज सेवा के संकल्प के साथ पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। मुख्य अतिथि राज्यमंत्री रामगोपाल सुथार ने कहा कि किसी भी समाज की उन्नति के लिए एकता एवं मजबूत संगठन सबसे अनिवार्य स्तंभ हैं। उन्होंने नवनियुक्त कार्यकारिणी को बधाई देते हुए कहा कि नेतृत्व का अर्थ केवल पद प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास और सहायता पहुँचाना है। विधायक रामसहाय वर्मा ने कहा कि महिला शक्ति को आगे आना चाहिए और समाज हित में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया। निवर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप ईसरानी ने आश्वासन दिया कि वह तन, मन व धन से जांगिड समाज के साथ है। तहसील अध्यक्ष कन्हैयालाल जांगिड़ सिरस ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

जांगिड समाज के समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई।

न्यायालय:-अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं.-1, हिण्डौनसिटी।
मु. नं.-67/2026
मिथलेश तिवाडी बनाम हरखास आम
प्रार्थना-पत्र बावत उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र
सर्व साधारण को सूचित किया जाता कि मिथलेश तिवाडी आयु 61 साल, पुत्री स्व. दीनदयाल तिवाडी पत्नी महेश चंद तिवाडी, जाति-ब्राहमण, निवासी-पंचायत समिति के पीछे झारेडा रोड, हिण्डौनसिटी, जिला-करौली, (राज.) ने इस न्यायालय में अपने पिताजी मृतक श्री दीनदयाल तिवाडी पुत्र श्री मोतीलाल तिवाडी जाति ब्राहमण निवासी हिण्डौनसिटी, जिला करौली, (राज.) के द्वारा छोड़ी गई चल सम्पत्ती SBI बैंक शाखा हिण्डौन में जमा राशि 7,30,439.00/-रूपये व उक्त राशी पर मिलने वाले ब्याज, लाभ एवं परिलाभो को प्राप्त करने के लिए आवेदिका ने उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने का आवेदन किया हैं। लिहाजा जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त प्रार्थना-पत्र के स्वीकार करने में कोई आपत्ती हो तो वह अपनी उपस्थिति इस न्यायालय में दिनांक-20/5/2026-को समय 7:30 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर दें, वर्ना गुजरने उक्त दिनांक कोई आपत्ती स्वीकार नही होगी एवं प्रार्थना-पत्र यकतरफा में सुनकर फैसला कर दिया जावेगा। मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक-6/3/26 को जारी किया गया।
आज्ञा से-रीडर,
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश नं.-1, हिण्डौनसिटी।
(मुहर)

विवाधकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
आदेश 5 के नियम 1 और 5
प्रार्थना पत्र संख्या 51/2025
नाम न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी रामपुरा डाबढी, जिला जयपुर
मनीष कुमार शर्मा बनाम कर्मवीर व अन्य
प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 128 एल. आर. एक्ट.
नाम 1 प्रेम पत्नी श्री काना, 2 कानाराम पुत्र श्री रामू, 3 रामेश्वर पुत्र श्री रामू 4 मंगली देवी पत्नी श्री लक्ष्मण, 5 लिछमण पुत्र श्री गोपी, 6 श्रवणी देवी पत्नी श्री सुवालाल, 7 सुमन बुनकर पत्नी श्री पूरण मल बुनकर समस्त जातियान बलाई निवासीयान बलाईयो की ढाणी, ग्राम महेशवास कला तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान, 4 श्योजी राम वर्मा पुत्र श्री रामदेव जाति रैगर निवासी मोहल्ला दत्तोव, टोडारायसिंह जिला टॉक, राज, 9 भूरी देवी पत्नी स्व. श्री हरीनारायण जाति बलाई निवासी ग्राम जोरपुरा तहसील साभर जिला जयपुर, 10 लछ्छमा देवी पत्नी स्व. श्री सुवालाल 11 जयनारायण बुनकर पुत्र श्री श्रवण लाल बुनकर जातियान बलाई निवासीयान बलाईयो की ढाणी, ग्राम सरना चौड जिला जयपुर राजस्थान ने आपके विरूद्ध प्रार्थना पत्र धारा 128 एल. आर. एक्ट. के लिये प्रार्थना पत्र संस्थित किया है, आपको इस न्यायालय में दिनांक 08.04.2026 को दिन में 10.00 बजे प्रार्थना पत्र का उत्तर देने के लिये उपसजात (हाजिर) होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वंय एवं किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिये गये हो और जो इस प्रार्थना पत्र से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नो के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे प्रश्नो का उत्तर दे सके, आपको यह निर्देश दिया जाता है, कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेजो जो आपके कब्जे या शक्ति मे है, पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है, और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति मे हो या ना हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई दावे या प्रतिदावे के समर्थन मे साक्ष्य के रूप मे निर्भर करते है, तो आप ऐसे दस्तावेजो को लिखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची मे प्रविष्ट करे।
आपको सूचित किया जाता है, कि उपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय संजात नही होने तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति मे किया जावेगा।
यह आज दिनांक 13.3.26 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय में मुद्रा लगाकर दिया गया।
उपखण्ड अधिकारी
रामपुरा-डाबढी जिला-जयपुर
(मोहर)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1747
चूंकि प्रार्थी श्री RAJESH KUMAR, 274/1, SARAY, WARD NO 11, MAHENDRAGARH, HARYANA ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास हरियाणा राज्य प्रवासी नागरिक मंच जयपुर 4, HARIYANA RAJYA PRAVASHI NAGRIK MANCH, SANSTHANIK AREA, OPP. VIDHYA ASHRAM SCHOOL, JLN MARG, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया हैं।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 12.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 25.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम
(मोहर अदालत)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1880
चूंकि प्रार्थी श्री ASHA GUPTA, 331 SHANTI NAGAR WARD NO. 14 DURGAPURA JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास BRAJ MEWAT SHIKSHAN SANSTHAN, J180 RAJIV GANDHI MARG ADARSH NAGAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 28.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम
(मोहर अदालत)

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2026/1874
चूंकि प्रार्थी श्री VIKAS JAIN SECRETARY, 1951 GHEE WALO KA RASTA JOHARI BAZAR JAIPUR ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्री चौबीस महाराज प्रबंधन समिति SHRI DIGAMBER JAIN MANDIR CHOBIS MAHARAJ MOTI SINGH BHOMIYO KA RASTA JOHARI BAZAR JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करे।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 16.03.2026 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 29.05.2026
सहायक आयुक्त
देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम
(मोहर अदालत)

आम सूचना सर्व साधरण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य चिरंजी लाल पुत्र स्व. श्री सूरजभान निवासी डीडीए फ्लैट नम्बर- बी-343, बिंदासर, उत्तम नगर, दिल्ली का पुत्र विजय कुमार निवासी वार्ड नम्बर- 18, आदर्श कॉलोनी, रिंगस जिला सीकर मेरे अभिभाष्य के कहने व सुनने में नहीं है। मेरे पुत्र से कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का संव्यवहार करता है, तो वह स्वयं की रिस्क व कॉस्ट पर करे, इसके लिए मेरा अभिभाष्य किसी भी रूप से उत्तरादायी नहीं होगा। अत एव सूचित रहे।
विजय सिंह चौधरी (एडवोकेट) मो. नम्बर- 8875641778

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय एम.एम.क्रम संख्या-19 चाकसू जयपुर महानगर प्रथम
हनुमान चौधरी विरूद्ध मुकेश चन्द वगै.
वाद/प्रार्थना पत्र T.I
प्रार्थना-पत्र संख्या 45 सन् 2026
नाम सुरेश चन्द पुत्र पुखराज जाति बैरवा पता-महरावेड पिपलाई जि. सवाई माधोपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 04 माह 04 सन् 2026 को 10.00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 16 माह 3 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
रीडर
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम सं.19
जयपुर महानगर प्रथम (चाकसू)
(मोहर अदालत)

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्यांक 4
न्यायालय एम.एम.क्रम संख्या-19 चाकसू जयपुर महानगर प्रथम
हनुमान विरूद्ध मुकेश चन्द वाद/प्रार्थना पत्र T.I
प्रार्थना-पत्र संख्या 45 सन् 2026
नाम गोलू कुमार पुत्र पुखराज जाति बैरवा पता-महरावेड पिपलाई जि. सवाई माधोपुर
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए दि. 04 माह 04 सन् 2026 को 10.00 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आ